क्षतिपूर्ति देने का विशेषाधिकार खत्म हो गया, बिल पारित

अदालतें सिर्फ अनुबंध लागू करने का आदेश दे सकेंगी

विश्लेषण

आधारभूत प्रोजेक्ट को प्राथमिकता

संशोधन में आधारभूत प्रोजेक्ट की विशेष श्रेणी रखी गई है। इनमें परिवहन, ऊर्जा

मामूली संशोधन करके इस अपराध से पीड़ित बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है। इस मामले में न्यायमित्र की भूमिका निभा रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दिरा जयसिंह से पीठ ने कहा कि इस योजना को मामूली संशोधन के साथ लागू किया जा सकता है। पीठ ने केन्द्र और सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे इस योजना को अक्षरशः लागू करें। पीठ ने इसके साथ ही जयसिंह को

कम से कम पांच लाख और अधिकतम दस लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह, बलात्कार और अप्राकृतिक यौन हिंसा की पीड़ित को अधिकतम सात लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। तेजाब हमले के मामले में यदि पीड़ित का चेहरा कुरूप हो गया तो उसे न्यूनतम सात लाख और अधिकतम आठ लाख रुपये मुआवजा मिलेगा।

वाले 1994 के फैसले को बड़ी पीठ को सौंपा जाए।

पीठ ने स्वामी से कहा कि वह इस मामले में फैसला आने के बाद उचित तरीके से अपनी याचिका सूचीबद्ध कराते हुए उस पर जल्दी सुनवाई का आग्रह करें। स्वामी ने कोर्ट से पूजा करने का अपना अधिकार जल्दी दिलाने का आग्रह किया है।

हिरासत में मौत पर दो को फांसी की सजा

तिरुवनंतपुरम | एजेंसी

विशेष सीबीआई अदालत ने साल 2005 में 26 वर्षीय व्यक्ति की हिरासत में मौत के संबंध में दो पुलिस अधिकारियों को बुधवार को मौत की सजा सुनाई। सहायक सब इंस्पेक्टर के जीतकुमार और सिविल पुलिस अधिकारी एस वी श्रीकुमार इस मामले में पहले और दूसरे आरोपी थे।

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जे नजीर ने दोनों को मौत की सजा सुनाई और प्रत्येक को दो लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। ऐसा पहली बार है कि केरल में दो सेवारत पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा हुई है। तीन अन्य आरोपियों टी के हरिदास, ई के साबू और अजीत कुमार को सबूत नष्ट करने तथा साजिश रचने के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। तीसरा आरोपी के वी सोमन की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी

छह वर्षीय बच्ची से रेप और हत्या में फांसी की सजा

चंडीगढ़। पंजाब के मनसा जिले की एक अदालत ने 2016 में छह साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसपाल वर्मा की अदालत ने 2016 में बच्ची को अगवा करने, उससे बलात्कार और हत्या मामले में काला राम उर्फ काला सिंह को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा है कि इस तरह के ह्य नृशंस कृत्य से पूरा समाज हिल जाता है और न्याय की मांग जोरदार तरीके से उभरती है।

ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर सरकार जवाब दे : हाईकोर्ट

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

हाईकोर्ट में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल कार्यालय और सामाजिक न्याय तथा गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका में दावा किया गया है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश के बावजूद उन्हें अभी भी उन्हें अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्राधिकारों को ट्रांसजेंडरों से थर्ड जेंडर का व्यवहार करने और उन्हें कानूनी पहचान प्रदान करने का निर्देश दिया था। याचिका दो छात्रों राशि जैन और मिहिर गर्ग ने दायर किया है। याचिका में आरोप है कि ट्रांसजेंडरों को शिक्षा के बुनियादी अधिकार, रोजगार के अवसर और सम्मान से जीवन जीने के अवसरों से वंचित किया जा रहा है।

एसवाईएल मुद्दे पर सरकार कोर्ट पहुंची

नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को अनुरोध किया कि वह सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर पर पंजाब के साथ जारी मतभेद के मामले की जल्दी सुनवाई करे। इस मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया।

पीठ ने सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के अधिवक्ता से कहा कि वह याचिका को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कराने के लिए कोर्ट के पंजीयक से संपर्क करे।

गाइड

या

Kesho Lal.
ion Letter
) of Flat-A-403
2,Sec-9 Dwarka
9810215005

चना

G
NTRACT
ions are
contract of
packing
Army HQ
ug 18 for
ons and

	1550
	1550

19, 20, 21.
स्थित है।
बंधक, भार,
किसी करार,
सी भी तरह
या उपरोक्त
ग्रह) दिन के
दि दावा या
यह समझा
या है ।
अधिवक्ता
ी–110024
ervices.in

निक
ना

दिया जाता है
में प्रकाशित
विज्ञापनों पर
पहले पूरी
र लें तथा
लें। कोई भी
अखबार में
विज्ञापन जैसे
ण सम्बंधी या
र के संदर्भ में
है या किसी
ह पर कोई
करता है या
तो ऐसा वह
बुद्धि तथा
गे। कम्पनी,
सका कोई
दाता द्वारा
द तथा सेवा
सी दावे की
सन नहीं देते
पर विश्वास
क्त को हुई
परिणाम के
होंगे।

निविदा सूचना

Maharaja Agrasen Group of Hospitals
Punjabi Bagh, New Delhi - 26
Ph. : 40777777, 40777666
Offers are invited for
Chemist Shop
(on Licence Basis)
At Sector 1 Dwarka hospital offer may be submitted in the office of president Maharaja Agrasen Hospital Charitable Trust Which should be accompanied with

सार्वजनिक सूचना

PUBLIC NOTICE
ENTIRE PROPERTY BEARING NO. K-II/63, LAJPAT NAGAR, NEW DELHI-110024, MEASURING 200 SQUARE YARDS.
Be it Known to all that my client M/s Suvidha Developers throuth its Proprietor Mr. Rishi Kapoor having there office at D-112, Sarita Vihar, New Delhi-110076 intend to enter into collaboration / purchase the above captioned property from its Owner (i) Shri Amit Paul Singh, son of Shri Joginder Pal, resident of K-II/63, Lajpat Nagar, New Delhi-110024, and (ii) Mrs. Santosh K. Singh, wife of Shri Harbhajan Singh, resident of 2803 Mozart Court, Gloucester - ON, Canada - K1T2P8.
responsible for any transaction entered by anyone relating to the said property.
SD/-
(Ramesh Kumar) Advocate W-99, LGF, Greater Kailash-II New Delhi-48
9810159436 (Email: ramesh_kumar_company@yahoo.co.in)

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक सूचना
मैसर्स ईशायू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कौलोब्रेशन डीएलएफ न्यू गुड़गांव ऑफिसर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नं 131, स्पैलैंडर फोरम, प्लॉट नं 3, जसोला डिट्रिस्ट सैंटर, नई दिल्ली–25 की परियोजना की आई. टी. कॉलोनी, एरिया 6,775 एकड़, सैक्टर–58, गुरुग्राम में संशोधित बिल्डिंग योजना के टॉवर–ए के साइट प्लान में मंजिल स्तर के नामकरण में परिवर्तन के अनुमोदन के लिये इस कॉलोनी के विकास के लिये महानिदेशक नगर एंव ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा चंडीगढ, के लाईसेंस नं. 82/2010 दिनांक 12–10–2010 प्रदान किया है।
और जबकि इस कॉलोनी में बहुत से व्यक्तियों ने कॉलोनी में फ्लैट/सम्पति के आबंटन के लिये बुकिंग दर्ज की है (जिसे बाद में आबंटियों के रूप में जाना जाता है) और जबकि इमारत की योजना पहले से अनुमोदित थी और अब संशोधित की जा चुकी है।
तदानुसार इस सार्वजनिक सूचना के तहत उन सभी आंवटियों से आग्रह किया जाता है जिन्होंने टॉवर–ए साइट प्लान के मंजिल स्तर के नामकरण में परिवर्तन से कोई आपत्ति है तो वे अपनी आपत्तियां दायर कर सकते है। संशोधित बिल्डिंग प्लान एक प्रति जोकि यादी क्रमाक मे जैड पी 669/एसडी(बीएस)/2018/12236 दिनांक 19.04.2018 मे मंजूर हो चुकी है जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मैसर्स ईशायू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, कौलोब्रेशन डीएलएफ न्यू गुड़गांव ऑफिसर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नं. 131, स्पैलैंडर फोरम, प्लॉट नं. 3, जसोला डिट्रिस्ट सैंटर, नई दिल्ली–25 और वरिष्ठ नगर योजनाकार गुडगांव में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।
कोई भी आवंटी जिसे इस संशोधित बिल्डिंग प्लान पर आपत्ति है वह अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर वरिष्ठ नगर योजनाकार, हुडडा भवन, सैक्टर–14, गुडगांव और मैसर्स ईशायू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नं. 131, स्पैलैंडर फोरम, प्लॉट नं. 3, जसोला डिट्रिस्ट सैंटर, नई दिल्ली–25 के कार्यालय में दाखिल करा सकते है अन्यथा यह माना जायेगा कि संशोधित बिल्डिंग प्लान के लिये कोई आपत्ति नहीं है।
मैसर्स ईशायू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, कौलोब्रेशन डीएलएफ न्यू गुड़गांव ऑफिसर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नं. 131, स्पैलैंडर फोरम, प्लॉट नं. 3, जसोला डिट्रिस्ट सैंटर, नई दिल्ली–25

RETAIL
CHOOSE THE RELEVANT HEADER FOR PROMPT RESPONSE
GARMENTS SHOWROOMS
INVERTER
KITCHENWARE
KITCHEN EQUIPMENT
KITCHEN APPLIANCE
MODULAR KITCHENS
FURNITURE & FITTINGS
JEWELLERY
WASHING MACHINE
WATER PURIFIERS / DISPENSER
DRAPERY RODS / BLINDS
AIR COOLERS
WATER COOLERS
REFRIGERATION & A/C
BATTERY
ELECTRICAL APPLIANCES
ELECTRONIC EQUIPMENTS/APPLIANCES
GENERATOR